रक्षा लेखा महानियत्रक

उलान बटार रोड, पालम, दिल्ली केंट 110010

सं. प्रशा/XIV/14162/छठवां वेतन आयोग/परिपत्र/जिल्द-IV AN/XIV/14162/VIth CPC/Circular/VoI-IV

दिनांक: 05/10/2012

सेवा मे,

सभी प्रधान/ रक्षा लेखा नियंत्रक All PCsDA/CsDA (Through/CGDA Mail Server)

विषय: केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को वर्ष 2011-2012 के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) प्रदान किया जाना।

Sub: Grant of Non-Productivity Linked Bonus (ad-hoc bonus) to Central Government **Employees** for the year 2011-12.

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं0 7/24/2007/ई-॥(ए) दिनांक 05/10/2012 की प्रति सूचना, मार्गदर्शन एवम् आवश्यक कार्यवाही हेत् अग्रेषित की जाती है।

A copy of Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure Office Memorandum No. 7/24/2007/E III(A) dated 05/10/2012 on the above subject is forwarded herewith for your information, guidance and necessary action please.

> (चित्रा महेन्द्रन) कृते रक्षा लेखा महानियंत्रक

- 1. प्रशासन ४ अनुभाग (स्थानीय)
- 2. लेखा परीक्षा- 1,2,4 (स्थानीय)
- 3. लेखा परीक्षा (समन्वय) अनुभाग (स्थानीय)
- 4. ई डी पी सेन्टर (स्थानीय) ---- रक्षा लेखा महानियंत्रक वेबसाइट पर अपलोड करने हेत् ।
- 5. प्रशिक्षण एवं संगोष्ठी केन्द्र, बरार स्क्वायर, दिल्ली छावनी
- 6. पुस्तकालय अनुभाग (स्थानीय)
- 7. मास्टर नोट बुक (प्रशासन 14)

\-्ती ते। (चित्रा महेन्द्रन) कृते रक्षा लेखा महानियंत्रक संख्या- 7/24/2007/ई-III(ए) भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग संस्था-III (क) शाखा

नई दिल्ली, 05 अक्तूबर, 2012

कायलिय ज्ञापन

विषयः केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को वर्ष 2011-2012 के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) प्रदान किया जाना।

अधोहस्ताक्षरी को केन्द्र सरकार के समूह "ग" तथा "घ" कर्मचारियों और समूह "ख" के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों, जो उत्पादकता से संबद्ध किसी भी बोनस स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं, को लेखा वर्ष 2011-2012 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) प्रदान किए जाने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति की सूचना देने का निदेश हुआ है। इन आदेशों के तहत तदर्थ बोनस के भुगतान की गणना, 3500/- रुपए की मासिक परिलब्धियों को ऊपरी सीमा मानते हुए की जाएगी जैसे कि अब तक की गई थी। इन आदेशों के तहत तदर्थ बोनस का भुगतान केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों और सशस्त्र बलों के योग्य कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगा। ये आदेश संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के उन कर्मचारियों पर भी लागू माने जाएंगे, जो परिलब्धियों के संबंध में केन्द्र सरकार की पद्धित का अनुसरण करते हैं तथा जो किसी अन्य बोनस या अनुग्रह स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं।

- 2. यह लाभ निम्नलिखित शतों के अधीन स्वीकार्य होगा:-
- (i) केवल वे ही कर्मचारी इन आदेशों के अंतर्गत भुगतान के पात्र होंगे, जो 31.3.2012 को सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2011-2012 के दौरान न्यूनतम छह महीने तक लगातार सेवा की हो। वर्ष के दौरान छह महीने से लेकर पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अविध के लिए पात्र कर्मचारियों को यथा-अनुपात भुगतान किया जाएगा, पात्रता-अविध की गणना सेवा के महीनों (महीनों की निकटतम संख्या में पूर्णांकित) के संदर्भ में की जाएगी।
- (ii) उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की मात्रा की गणना औसत परिलब्धियों/परिकलन सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी । एक दिन के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की गणना करने के लिए एक वर्ष की औसत परिलब्धियों को 30.4 (एक महीने के औसत दिनों की संख्या) से विभाजित किया जाएगा । तत्पश्चात इसका बोनस दिए जाने वाले दिनों की संख्या से गुणा किया जाएगा । उदाहरण के लिए, परिकलन सीमा 3500/- रुपए मानते हुए (जहां वास्तविक औसत परिलब्धियां 3500/- रुपए से ज्यादा हैं) 30 दिनों के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) 3500 X 30/30.4 = 3453.95/- रुपए (3454/- रुपए पृणांकित) होगा ।

- (iii) ऐसे दिहाड़ी मजदूर, जिन्होंने 6 कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में पिछले तीन अथवा इससे अधिक वर्षों में हर वर्ष कम से कम 240 दिन (पांच कार्य-दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों के मामले में 3 या इससे अधिक वर्षों में हर वर्ष 206 दिन) कार्य किया है, इस उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) के पात्र होंगे । उन्हें देय उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) 1200 रुपए X 30/30.4 अर्थात 1184.21/- रुपए (1184/- रुपए पूर्णांकित) होगा । ऐसे मामलों में जहां वास्तविक परिलब्धियां 1200/- रुपए प्रतिमाह से कम हैं, वहां इस राशि की गणना वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर की जाएगी ।
- (iV) इन आदेशों के अंतर्गत सभी भुगतान रुपए के निकटतम पूर्णांक में किए जाएंगे।
- (V) इस मंत्रालय के समय-समय पर यथा-संशोधित, दिनांक 4.10.1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.14(10)-ई.कॉर्ड/88 के तहत जारी किए गए स्पष्टीकरण आदेश लागू होंगे ।
- 3. इस पर होने वाला खर्च उन संबंधित शीषों के नामे डाला जाएगा जिनमें इन कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते नामे डाले जाते हैं।
- 4. उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) पर होने वाला व्यय संबंधित मंत्रालयों/विभागों के चालू वर्ष के लिए स्वीकृत बजट प्रावधान के भीतर ही किया जाना है।
- 5. जहां तक, भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

अगरनाथ सिंह) (अगर नाथ सिंह) उप सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को मानक वितरण सूची आदि के अनुसार ।

प्रतिलिपि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक सूची के अनुसार प्रेषित (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सिहत)। No.7/24/2007/E III (A)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
E III (A) Branch

New Delhi, the 5th October, 2012.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Grant of Non-Productivity Linked Bonus (ad-hoc bonus) to Central Government Employees for the year 2011-12.

The undersigned is directed to convey the sanction of the President to the grant of Non-Productivity Linked Bonus (Ad-hoc Bonus) equivalent to 30 days emoluments for the accounting year 2011-12 to the Central Government employees in Groups 'C' and 'D' and all non-gazetted employees in Group 'B', who are not covered by any Productivity Linked Bonus Scheme. The calculation ceiling for payment of ad-hoc Bonus under these orders shall continue to be monthly emoluments of Rs. 3500/-, as hitherto. The payment of ad-hoc Bonus under these orders will also be admissible to the eligible employees of Central Para Militrary Forces and Armed Forces. The orders will be deemed to be extended to the employees of Union Territory Administration which follow the Central Government pattern of emoluments and are not covered by any other bonus or ex-gratia scheme.

- 2. The benefit will be admissible subject to the following terms and conditions:-
- (i) Only those employees who were in service as on 31.3.2012 and have rendered at least six months of continuous service during the year 2011-12 will be eligible for payment under these orders. Pro-rata payment will be admissible to the eligible employees for period of continuous service during the year from six months to a full year, the eligibility period being taken in terms of number of months of service (rounded off to the nearest number of months).
- (ii) The quantum of Non-PLB (ad-hoc bonus) will be worked out on the basis of average emoluments/calculation ceiling whichever is lower. To calculate Non-PLB (Ad-hoc bonus) for one day, the average emoluments in a year will be divided by 30.4 (average number of days in a month). This will thereafter be multiplied by the number of days of bonus granted. To illustrate, taking the calculation ceiling of monthly emoluments of Rs. 3500 (where actual average emoluments exceed Rs. 3500), Non-PLB (Ad-hoc Bonus) for thirty days would work out to Rs. 3500x30/30.4=Rs.3453.95 (rounded off to Rs.3454/-).
- (iii) The casual labour who have worked in offices following a 6 days week for at least 240 days for each year for 3 years or more(206 days in each year for 3

years or more in the case of offices observing 5 days week), will be eligible for this Non-PLB (Ad-hoc Bonus) Payment. The amount of Non-PLB (ad-hoc bonus) payable will be (Rs.1200x30/30.4 i.e.Rs.1184.21 (rounded off to Rs.1184/-). In cases where the actual emoluments fall below Rs.1200/- p.m., the amount will be calculated on actual monthly emoluments.

- (iv) All payments under these orders will be rounded off to the nearest rupee.
- (v) The clarificatory orders issued vide this Ministry's OM No.F.14 (10)-E. Coord/88 dated 4.10.1988, as amended from time to time, would hold good.
- 3. The expenditure on this account will be debitable to the respective Heads to which the pay and allowances of these employees are debited.
- 4. The expenditure incurred on account of Non-PLB (Ad-hoc Bonus) is to be met from within the sanctioned budget provision of concerned Ministries/Departments for the current year.

5. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

(Amar Nath Singh)
Deputy Secretary

To,

All Ministries/Departments of the Government of India as per standard list etc.

Copy (with usual no. of spare copies) forwarded to C&AG, UPSC etc. as per standard list.